

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - सी संख्या - 7418 सन् 2026

शोभित कश्यप

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग लखनऊ एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सूरज कुमार निषाद, अतुल राज, योगेश सोनी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शिखर आनंद

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।
2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत एक रिट याचिका है, जिसमें रिट याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की याचना की है:-

"i. उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3/राज्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-5, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14-05-2026 को निरस्त किया जाए। जैसा कि संलग्नक संख्या-9 में अंतर्विष्ट है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ii. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह आदेशित किया जाए कि वह याचिकाकर्ता को सूचना का अधिकार के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांकित 20-03-2025 के दृष्टिगत समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की सम्पूर्ण सूचना विधि के अनुसार उपलब्ध कराए।

iii. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 03 को यह आदेशित किया जाए कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 04 पर रुपये 25000 की अधिकतम शास्ति अधिरोपित करे।

iv. परमादेश की प्रकृति की रिट, एक रिट आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 एवं 6 को यह आदेशित किया जाए कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(ख) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रत्यर्थी के कृत्य के कारण याचिकाकर्ता को हुए उत्पीड़न हेतु याचिकाकर्ता को क्षतिपूर्ति प्रदान करें।"

3. राज्य सूचना आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि सीसीटीवी फुटेज में संवेदनशील सूचना अंतर्विष्ट है तथा यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (एतस्मिन्नपश्चात् "अधिनियम, 2005" के रूप में सन्दर्भित) की धारा 8(1)(छ) के अंतर्गत परिकल्पित अपवादों की परिधि में आती है। उन्होंने आगे यह कथन किया है कि उक्त फुटेज, यदि ऐसा निर्देशित किया जाए, तो न्यायालय/आयोग को उपलब्ध करायी जा सकती है, किन्तु उसे सीधे आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य, जो (2021) 1 एससीसी 184 में प्रतिवेदित है, पर विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण याचिकाकर्ता का अधिकार है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर अधोद्धृत किए जा रहे हैं:-

"18. जब कभी पुलिस थानों में बल प्रयोग किए जाने, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट और/अथवा अभिरक्षा में मृत्यु हुई हो, की सूचना प्राप्त होती है, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति उसके निवारण हेतु शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हों। ऐसी शिकायतें न केवल राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष की जा सकती हैं, जो तत्पश्चात् ऐसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिकायतों के निवारण हेतु अपनी शक्तियों का, विशेष रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 17 एवं 18 के अंतर्गत, प्रयोग करेगा, अपितु मानवाधिकार न्यायालयों के समक्ष भी की जा सकती हैं, जिनकी स्थापना उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में की जानी अनिवार्य है। तत्पश्चात् आयोग/न्यायालय घटना से संबंधित सीसीटीवी कैमरा फुटेज को उसकी सुरक्षित अभिरक्षा हेतु तत्काल तलब कर सकता है, जिसे तत्पश्चात् उसके समक्ष की गई शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु किसी अन्वेषण अभिकरण को उपलब्ध कराया जा सकता है।

21. एसएलओसी एवं सीओबी (जहाँ लागू हो) समस्त पुलिस थानों, अन्वेषण/प्रवर्तन अभिकरणों को यह निर्देश देंगे कि वे पुलिस थानों/अन्वेषण/प्रवर्तन अभिकरणों के कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर तथा उनके भीतर संबंधित परिसर के सीसीटीवी द्वारा आच्छादित होने के विषय में प्रमुखता से प्रदर्शित करें। यह अंग्रेजी, हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बड़े पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, उनमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालय अथवा पुलिस अधीक्षक अथवा किसी अपराध का संज्ञान लेने हेतु सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष शिकायत करने का अधिकार है। उनमें यह भी उल्लिखित किया जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज एक निश्चित न्यूनतम समयावधि, जो छह माह से कम नहीं होगी, तक संरक्षित रखी जाती है, तथा पीड़ित को अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में उसे सुरक्षित कराने का अधिकार है।

22. चूँकि ये निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को प्रत्याभूत मौलिक अधिकारों के अग्रसरण में हैं, तथा चूँकि दिनांक 3-4-2018 के हमारे प्रथम आदेश [शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 5 एससीसी 311 : (2018) 2 एससीसी (क्रि) 704] के पश्चात् 2½ वर्ष से अधिक की अवधि में इस संबंध में कुछ भी सारवान नहीं किया गया है, अतः कार्यपालिका/प्रशासनिक/पुलिस प्राधिकारीगण इस आदेश का यथाशीघ्र अक्षरशः एवं उसकी मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वयन करें। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रमुख सचिव/कैबिनेट सचिव/गृह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सचिव द्वारा शपथपत्र दाखिल किए जाएंगे, जिनमें इस न्यायालय को आज के आदेश के अनुपालन हेतु सटीक समय-सीमा सहित एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत की जाएगी।

यह आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना है।"

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमवीर सिंह सैनी के प्रकरण (उपरोक्त) में पारित निर्णय के उपरोक्त प्रस्तरों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय/आयोग को सीसीटीवी फुटेज तलब करने तथा उक्त फुटेज के संरक्षण का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है।

6. हमारे मत में, याचिकाकर्ता ने आज की तिथि तक किसी भी न्यायालय अथवा आयोग के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की है तथा उसने मात्र सीसीटीवी फुटेज की माँग की है। हमारे मत में, उक्त फुटेज याचिकाकर्ता को सीधे उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है, क्योंकि यह अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(छ) में अंतर्विष्ट अपवाद से आच्छादित है।

7. यदि याचिकाकर्ता समुचित फोरम/न्यायालय के समक्ष शिकायत दाखिल करता है, तो उक्त फोरम/न्यायालय सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण का निर्देश देने के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत के सत्यापन के प्रयोजनार्थ वास्तविक फुटेज तलब भी कर सकता है।

8. उपरोक्त निर्देशों सहित, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

आदेश दिनांक- 2 सितम्बर, 2026

सी.के.एस./-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।